न्यायालय

# सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

## गुढामालानी–बाडमेर

**(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)**

प्रार्थना पत्र सं.:– 2024/160(77/24) दर्ज तिथिः–06.03.2024

1. पूनमाराम पुत्र भारूराम
2. बाबूलाल पुत्र भारूराम
3. भंवराराम पुत्र भारूराम
4. रामचन्द्र पुत्र भारूराम
5. सुखराम पुत्र भारूराम
6. साजनराम पुत्र भारूराम
7. किशनाराम पुत्र हरचन्दराम
8. नारायणलाल पुत्र हरचन्दराम
9. रामलाल पुत्र हरचन्दराम
10. शंकरलाल पुत्र हरचन्दराम
11. जयराम पुत्र मानाराम
12. भागीरथराम पुत्र मानाराम

जाति विश्नोई निवासी गोलिया गर्वा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

– प्रार्थीगण

**बनाम**

1. घमण्डाराम पुत्र जोधा
2. जगमालराम पुत्र जोधा
3. जयराम पुत्र फूसाराम
4. नारणाराम पुत्र जोधा
5. भाखरा पुत्र मंगला
6. भीखाराम पुत्र फगलूराम
7. मेघाराम पुत्र फगलूराम
8. मानाराम पुत्र फगलूराम
9. मीरादेवी पत्नी फगलूराम
10. विसना पुत्र मंगला
11. सुगणी देवी पत्नी फूसाराम
12. हुकमा पुत्र मंगला
13. धना पुत्र ठाकरा
14. नैनाराम पुत्र जगमाल
15. नारायण पुत्र ठाकरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.06.11 10:19:36 IST
Reason: SelfAttested

16. बाबू पुत्र जगमाल
17. राजू पुत्र जगमाल
18. लाधू पुत्र जगमाल
19. सुवटी पत्नी जगमाल
20. हेमा पुत्र जगमाल
21. अशोक कुमार पुत्र सदराम
22. उदा पुत्र शंकराराम
23. कोशल्या पुत्री सदराम
24. जमना पत्नी शंकराराम
25. झमकूदेवी पत्नी पूनमाराम
26. नेनाराम पुत्र भीयाराम
27. पूनमीदेवी पत्नी सदराम
28. पूनीदेवी पत्नी भीयाराम
29. पवनकुमार पुत्र भेराराम
30. बाबू पुत्र कोजा
31. भजना पुत्र शंकराराम
32. भाखरा पुत्र मोबता
33. भाणी पत्नी भेराराम
34. मला पुत्र कोजा
35. मांगीलाल पुत्र भैराराम
36. माडू पत्नी कोजा
37. रूगनाथ पुत्र मोबता
38. रमेश पुत्र शंकराराम
39. राधा पुत्री सदराम
40. लाधू पुत्र कोजा
41. लाधू पुत्र मोबता
42. लाधूराम पुत्र भीयाराम
43. शंकरा पुत्र कोजा
44. श्रवणकुमार पुत्र भीयाराम
45. सुजानाराम पुत्र पूनमाराम
46. हेमाराम पुत्र सदराम
47. हरीराम पुत्र मोबता
48. अशोक पुत्र हरीराम उर्फ हरूराम
49. ओमप्रकाश पुत्र हरीराम उर्फ हरूराम
50. कालूराम पुत्र घमण्डाराम
51. किशनाराम पुत्र भाखरााम
52. जयकिशन पुत्र घमण्डाराम
53. जोगाराम पुत्र ठाकराराम
54. दोपा देवी पत्नी भाखराराम
55. बाबूलाल पुत्र ठाकराराम
56. भागीरथ पुत्र प्रहलाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.06.11 10:19:36 IST
Reason: SelfAttested

57. मंगला पुत्र धीमा
58. वीराराम पुत्र घमण्डा
59. सुखराम पुत्र घमण्डा
60. सदराम पुत्र घमण्डा
61. गंगादेवी पुत्री खीयाराम
62. चूनीदेवी पुत्री खीयाराम
63. जेठाराम पुत्र खीयाराम
64. भाखराराम पुत्र खीयाराम
जाति विश्नोई निवासी गोलिया गर्वा तहसील गुढामालानी जिला बाड़मेर

......................असल अप्रार्थीगण

65. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. बैंक शाखा गुढामालानी
66. शाखा प्रबन्धक आर.एम.जी.बी. बैंक शाखा गुढामालानी
67. तहसीलदार गुढामालानी

..............तरतीबी अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः— श्री जगदीश विश्नोई।
अप्रार्थीगणः— एकतरफा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—128
राजस्थान भू—राजस्व अधि—1956

## —:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—10.06.2024

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—128 राजस्थान भू—राजस्व अधि—1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 274/4/3.0999 है0, 295/1/4.7348 है0, 274/1/0.1052 है0, 274/3/3.0999 है0, 295/3/4.7348 है0, 274/5/3.0999 है0, 295/4/4.7105 है0, वाके ग्राम जम्भेश्वर नगर तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थीगण काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करते चले आ रहे है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार गुडामालानी के यहां प्रार्थना—पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार गुडामालानी द्वारा दिनांक 29.01.2024 को मौके पर उपस्थित होकर उक्त आराजी का सीमांकन कराकर निशानदेही कराई गई। परन्तु अप्रार्थीगण पैमाईश को नहीं मान रहे है तथा प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब प्रार्थीगण मुताबिक पैमाइश रिपोर्ट दिनांक 29.01.2024 के आधार पर आराजी की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अंत में प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी मुताबिक पैमाईश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करवाना निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.06.11 10:19:36 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद विधिवत तामील अनुपस्थित होने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी।

3. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाइश दिनांक 29.01.2024 के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है।

4. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***111. Decision of disputes as to boundaries***.—(1) *In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

5. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***128. Boundary disputes.*** - *All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*
>
> ***Provided that*** *applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2073–2076 वाके ग्राम जम्भेश्वर नगर में राजस्व इन्द्राज [illegible] तहसीलदार गुडामालानी द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। [illegible] अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड वाके ग्राम जम्भेश्वर नगर के [illegible] इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.06.11 10:19:36 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक 29.01.2024 से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार गुडामालानी के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश कराई जा चुकी है। सीमाज्ञान रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर आराजी खसरा नम्बर 274, 295 को मुस्तकिल बिन्दु मानकर सीमाज्ञान किया। मौके पर प्रार्थीगण को सीमाचिह्न बताकर प्रार्थीगण को संतुष्ट किया गया है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है। इस प्रकार प्रार्थीगण की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

**प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा–128 भू–राजस्व अधिनियम–1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। हाल आराजी खसरा संख्या 274/4/3.0999 है0, 295/1/4.7348 है0, 274/1/0.1052 है0, 274/3/3.0999 है0, 295/3/4.7348 है0, 274/5/3.0999 है0, 295/4/4.7105 है0, वाके ग्राम जम्भेश्वर नगर तहसील गुढामालानी जिला बाड़मेर पर प्रार्थीगण एवं संबंधित पक्षकारों/हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।**

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार गुडामालानी को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 10.06.2024 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.06.11 10:19:36 IST
Reason: SelfAttested